

उसका जन्म पश्चिम घाट के घने जंगलों में हुआ था। केरल के वयनाड़ ज़िले के थ्रिसल्लरी गांव में। वह स्कूल तो बहुत जाना चाहती थी। चाहती थी अपनी उमर की दूसरी बच्चियों की तरह बढ़िया कपड़े पहने, बस्ता लेकर, बगी में सवार होकर पाठशाला जाए। गिटपिट अंग्रेजी बोले। पर यह कैसे संभव हो पाता। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। बाप अडियर समुदाय से था जो कि इलाके की सबसे पिछड़ी आदिवासी जाति थी। उसे एक दिन की मज़दूरी मिलती थी एक किलो धान। फिर वह बेटी के सपने कैसे पूरे कर पाता।

पर उसने अपने सपने पूरे किए। और आज वह हमारे देश की पहली आदिवासी औरत है जो देश की पहली आदिवासी संस्था चलाती है। उसका नाम है सी. के. जानू।

अपमान भरा जीवन

“मेरा बचपन बहुत गरीबी और दुख में बीता। मैं अडियर आदिवासी समुदाय में पैदा हुई थी। इस समुदाय के सभी लोग बंधुआ मज़दूर थे। आदिवासी जाति के लोगों को दासों से भी गया-गुज़रा जीवन बिताना पड़ता था। ज़मींदार हम आदिवासियों को एक साल काम कराने के लिए पचास पैसे या एक रुपए में खरीद लेते थे। इंसानों की यह खरीद-फरोख वल्लीयूरकवू मंदिर के उत्सव में कबानी नदी के घाट पर होती थी।

ऐसे ही उत्सव में मेरे पिता को भी पचास पैसे में बेचा गया था। पिता के साथ हम सब भाई-बहनों को भी बंधुआ मज़दूरी करनी पड़ती थी। ज़मींदार मेरे पिता को मज़दूरी के बदले कुछ धान दिया करता था। उसी में हम सबको अपना गुजारा करना होता था। बरसात के दिनों में तो



जुही जैन

और मुश्किल थी। उन दिनों हमें अक्सर भूखे रहना पड़ता था।

हम बंधुआ दासों का जीवन नक्क था। ज़मींदार हमसे काम करवाते और बदले में हमें देते मार और गालियां। खुद तो वह धी-दूध पीते और हमें पीने को चावल का माड़ भी नहीं था। वे आलीशान पक्के मकानों में रहते और हम टूटी फूस की झुग्गी में। हम तंग आ गए थे इस शोषण और अपमान से। इसलिए हमने बगावत की। हाँ, हमारे हक्कों के संघर्ष को सब बगावत ही कहते हैं।

बगावत या संघर्ष

हमारे संघर्ष की शुरुआत 1991 में हुई। तब तक मैं ज़मींदारों के खेत में बाईस रुपए रोज़ पर मज़दूरी करती थी। सरकारी कानून की वजह से हमें बाईस रुपए रोज़ मज़दूरी के मिलने लगे थे। पर इज़जत थोड़ी ही सरकारी कानून से मिलती है। उसके लिए तो जंग करनी पड़ती है। अपमान सहना पड़ता है। तभी तो खून में उबाल आता है। तभी तो हम तैयार होते हैं अपना जीवन सुधारने को।

ज़मींदारों, सरकारी मुलाज़िमों के अत्याचारों से तंग आकर ही हम लोग एकजुट हो पाए हैं। जब

हमें पहली बार अहसास हुआ कि हम भी इंसान हैं, तभी हम पांच आदिवासी लोगों ने मिलकर आदिवासी संगठन बनाया। इस संगठन का 1993 में पुनः नामकरण हुआ 'आदिवासी विकास समिति'। आज इस संगठन में पांच हजार सदस्य हैं। इलाके की दूसरी आदिवासी जातियां जैसे कुराचिया, कटुनैकर और पनियार भी शामिल हैं।

संगठन की शुरुआत ज़मींदारों को रास नहीं आई। हमें काम मिलना बंद हो गया। हमारे घर-परिवार बिखरने लगे। बच्चे भूखों मरने लगे। पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपना संघर्ष जारी रखा। बंधुआ मज़दूरी करने से मना कर दिया। कम मज़दूरी पर काम पर जाने से एक दूसरे को रोका।

ज़मीन का अधिकार

हमारा सबसे पहला बड़ा संघर्ष था अपनी खोई ज़मीनें वापस लेने का। हम लोगों के पास तो मुद्रों को गाड़ने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। वह भी हमें ज़मींदारों से मांगनी पड़ती थी। बदले में हम मुफ्त काम करते, महीनों, सालों।

अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए हमने मिलकर कलक्टर के दफ्तर के चारों ओर धेरा डाला। हमने कलपट्टा के सरकारी दफ्तरों का भी मोर्चा-बंद किया। हम ने मांग रखी कि हमारी ज़मीनें हमें वापस कर दी जाएं। हमारे इलाके में हरेक परिवार को आधा एकड़ ज़मीन मिली है। कुछ परिवारों को तो यह भी नहीं मिली है। हमारा संघर्ष अभी जारी है। जब तक हम वो सभी ज़मीनें वापस नहीं ले लेंगे जो सरकार ने सीलिंग अधिनियम के तहत ज़बर्दस्ती ले ली थीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम

इन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने मनन्यावाड़ी में मोर्चा निकाला था। पर पुलिस ने हमारे उन्नीस साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

हमारी अपनी आज़ादी के लिए

हमारी दूसरी लड़ाई है हम औरतों के लिए। आदिवासी मर्द और औरतें दोनों दबे हैं ज़मींदारों के अत्याचारों तले। और हम औरतें दबी हैं मर्दों के हुकुम तले। हमारे समुदाय में रिवाज़ है कि मर्द जिस औरत से शादी करना चाहता है, उसके भरण-पोषण का सारा खर्च वह उठाता है। सगाई होने के बाद वह औरत घर से बाहर नहीं निकलती है।

अपने समाज में मैं पहली औरत हूं जो पास के इलाकों में जा पाई हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले पूना, बंगलौर और दिल्ली का भी दौरा किया है। मैं चाहती हूं कि मेरी तरह मेरे समाज की दूसरी औरतें भी चार-दीवारी से बाहर निकलें। अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानें और अपने हालात बदलने के लिए काम करें। मैंने अब उनके साथ काम शुरू किया है। उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना भी सिखाना शुरू किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगी।

जानू को पूरा विश्वास है खुद पर। अपने साथियों पर। उसमें और उसके साथियों में ताकत है इरादों की। और इस ताकत के सहारे वे अपनी लड़ाई में जरूर सफल होंगी। □